

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 597]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 नवम्बर 2018—कार्तिक 14, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2018

क्र. 71-वि. निर्वा.-चार-2018-224.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्र. 3/4/ID/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL. II/2018 दिनांक 1 नवम्बर 2018 तथा उसका हिन्दी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

व्ही. एल. कान्ताराव, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2018

आदेश

विषय : छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों की पहचान.

सं 3/4/आईडी/ई.सी.आई./प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-II-2018.—1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु उपबंध को बनाए जा सकते हैं; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके. निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2)(ख) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के अधीन एक आदेश जारी किया है; तथा

6. छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना राज्यों के निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि आगामी साधारण निर्वाचन की मतदान तिथि से पूर्व निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मतदाताओं को "प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची" बांटी जाएगी,

8. अतः, अब सभी संबद्ध करकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में 16-10-2018 एवं 26-10-2018 को अधिसूचित, मध्यप्रदेश में 02-11-2018 को अधिसूचित होने वाले, राजस्थान में 12-11-2018 को अधिसूचित होने वाले, मिजोरम में 02-11-2018 को अधिसूचित होने वाले तेलंगाना 12-11-2018 को अधिसूचित होने वाले राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन के लिये सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गये हैं, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना पड़ेगा :-

- (i) पासपोर्ट,
- (ii) ड्रायविंग लाइसेंस,
- (iii) राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार/अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
- (iv) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
- (v) पैन कार्ड,
- (vi) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
- (vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- (x) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची,
- (xi) सांसदों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र विधायकों; और
- (xii) आधार कार्ड,

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए. यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 1st November, 2018

ORDER

Subject : General elections to the Legislative Assemblies of **Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana**-Identification of electors in polling stations.

No. 3/4/ID/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL-II-2018.—1. WHEREAS, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under Section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. WHEREAS, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. WHEREAS, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. WHEREAS, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together, and

5. WHEREAS, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, under Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960 directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. WHEREAS, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in the States of **Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana**; and

7. WHEREAS, in addition the Commission has directed that '**Authenticated Photo Voters Slip**' shall be distributed by the election authorities to the electors well before the date of poll.

8. NOW, THEREFORE, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for current general elections to the State Legislative Assemblies of **Chhattisgarh notified on 16-10-2018 & 26-10-2018, Madhya Pradesh scheduled to be notified on 02-11-2018, Rajasthan scheduled to be notified on 12-11-2018, Mizoram scheduled to be notified on 02-11-2018 & Telangana scheduled to be notified on 12-11-2018**, all electors who have been issued EPICs shall produce their EPICs for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall have to produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:—

- (i) Passport;
- (ii) Driving License;
- (iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;

-
- (iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
 - (v) PAN Card;
 - (vi) Smart Card issued by RGI under NPR;
 - (vii) MNREGA Job Card;
 - (viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;
 - (ix) Pension document with Photograph;
 - (x) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery;
 - (xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.; and
 - (xii) Aadhaar Card.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act. 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport **only** (and no other identity document) in the polling station.

By order,
Sd./-
(K. F. WILFRED)
Sr. Pr. Secretary.